कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सप्तम बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2013 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया :–

1. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
   हल्द्वानी।

2. डॉ0 गीथा शिवामूर्ति, — सदस्य
   प्रोफेसर, ओ0बी0एन0जी0,
   बैंगलौर मेडिकल कालेज, कर्नाटक।

3. श्री राजीव बैरी, — सदस्य
   19/1, प्लीसेन्ट वेली,
   राजपुर रोड, देहरादून।

4. श्री सुधीर चड्ढा, — सदस्य
   उद्योगपति,
   चड्ढा सीड फार्म,
   चकलवा, नैनीताल।

5. प्रोफेसर आर.सी. मिश्र, — सदस्य
   निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा
   एवं क्षेत्रीय सेवाएँ, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

6. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, — सदस्य
   निदेशक, मानवीकी विद्या शाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

7. डॉ0 मदन मोहन जोशी, — सदस्य
   सहायक प्राध्यापक,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

8. श्रीमती आभा गर्खाल, — सदस्य
   वित्त नियन्त्रक,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे, — सदस्य
   निदेशक समाज विज्ञान विद्या शाखा
   एवं कुलसचिव,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

बैठक आरम्भ करते हुए कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम कुलसचिव ने इस बैठक हेतु कार्य सूची में इंगित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया तथा सम्मानित सदस्यों से उक्त प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया।

प्रस्ताव संख्या 7.01 – दूरस्थ शिक्षा परिषद को प्रेषित किये जाने वाले वचन पत्र के अनुमोदन पर विचार।

कार्य परिषद की बैठक में सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को भेजे जाने वाले वचन पत्र में वर्णित निम्न बारह बिन्दुओं के आलेख पर विस्तार से चर्चा की गयी:

1. ensure quality and will seek prior approval of Distance Education Council (DEC) on the courseware to be used for teaching-learning before any new programme is launched.
2. keep DEC informed about the number of study centers, number of students enrolled, infrastructure available and faculty at different levels.
3. ensure that minimum requirements and support in the programme delivery and facilities is provided to learners at study centers as per norms specified by DEC from time to time.
4. ensure that all distance education programmes shall be offered by the University under its direct control and there shall be no franchising or system of subletting the delivery system.
5. sharing of course material under common pool of DEC and facilities wherever possible, for optimum utilization.
6. confine to our normal jurisdiction as per Act and Statues of the University.
7. charge programme fee which does not exceed the fees being prescribed by IGNOU for similar courses and programmes as provided to commensurate student support services. (in case of highly specialized programmes, the fees structure can also be decided with prior approval of DEC from time to time).
8. recognize diplomas and degrees of other Universities offering distance education programmes as per the decision of the DEC from time to time. In essence, completion of few units from one institution will be accepted for further build up of additional units from another institution.
9. acknowledge DEC support for development of SIM (print, A/V CD) as well as other moveable and immoveable assets so acquired.
10. submit report on utilization of grant and impact of the grants from time to time in respect of the:
    - Development made by institution in creating infrastructure facilities in respect of (a) use of technology in delivery of programmes (b) improvement in student support services, (c) delivery of programmes and (d) infrastructure created.
    - Overall impact of DEC development grants on strengthening of the concerned institutions.
    - Improvement in overall quality of education.

11. The University undertakes to agree that the assistance from DEC for human resources shall be available for the XIIth Plan Period only, after which the liability will be taken over by the State Government/University.

12. The University will clearly mention in their degree/certificates issued to the students that the degree/certificate has been obtained through Distance Education Mode.

उक्त वचन पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया।

कार्य परिषद सदस्य श्री राजीव बेरी तथा श्री सुधीर चड्डा द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि उक्त वचन पत्र के बिन्दु संख्या 07 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अलग से अपने पत्र द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय संसाधनों की कमी तथा विश्वविद्यालय की विकास प्रकिया बनाये रखने का उल्लेख करते हुए कतिपय विषयों में शुल्क वृद्धि की आवश्यकता के औचित्य से भी अवगत करायें।

प्रस्ताव संख्या 7.02 – क्षेत्रीय निदेशालयों के पुनर्गठन पर विचार।

कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव संख्या 7.02 को प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य सूची में उल्लिखित प्रथम पैरा 'महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या – 3667/जी0एस0/शिक्षा/B-3-2(TC)/2013 दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशालयों के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है' को निम्नवत पढ़े जाने का अनुरोध किया :

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या – 3667/जी0एस0/ शिक्षा/B-3-2(TC)/2013 दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशालयों के पुनर्गठन हेतु कार्य परिषद की बैठक आहुत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है'

कार्य परिषद द्वारा इस संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

कुलसचिव द्वारा क्षेत्रीय निदेशालय के पुनर्गठन के सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे साथ ही इस प्रस्ताव में वित्तीय उपाशय भी निहित है अतः इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। चूंकि यह प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति जी के मध्य हुई वार्ता में लिये गये निर्णय पर आधारित है अतः उन्होंने माननीय कुलपति से अनुरोध किया कि वे स्वंय इस प्रस्ताव की रूपरेखा से माननीय सदस्यों को अवगत कराये।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :

- कार्य परिषद सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती है कि क्षेत्रीय निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाय।

- प्रारम्भ में देहरादून तथा हल्द्वानी में स्थित क्षेत्रीय निदेशालयों को समाप्त कर उन्हें कमशः विश्वविद्यालय के देहरादून तथा हल्द्वानी परिसर में स्थापित किया जाय।
- क्षेत्रीय निदेशालय हेतु आवश्यक ढ़ॉचे, कार्य प्रणाली एवं वित्तीय व मानव संशाधन का सम्पूर्ण आंगणन कर वित्त एवं अन्य आवश्यक समितियों के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- इस आंगणन हेतु कार्य परिषद द्वारा निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया:
    1. श्री राजीव बैरी, कार्य परिषद सदस्य
    2. श्री सुधीर चड्ढा, कार्य परिषद सदस्य
    3. निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ, उ0मु0वि0वि0 हल्द्वानी
    4. कुलसचिव
    5. वित्त नियन्त्रक

उक्त समिति से यह अपेक्षा की गयी कि वह 10 दिन के अन्दर उक्त विषय से सम्बन्धित अपनी आख्या कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी ताकि क्षेत्रीय निदेशालयों के पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य योजना का तत्काल कियान्वयन किया जा सकें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो0 गिरिजा पाण्डे) 29.01.2013
कुलसचिव / सदस्य सचिव

approved
29/1/13
Vice Chancellor